1. **Registration No. BA/192/2022**

न्यायालयः— अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राघौगढ जिला गुना म.प्र.

Regisration No. BA/192/2022

माखन लोधी पुत्र दयाराम लोधी जाति लोधी आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील मक्सूदनगढ़ थाना मक्सूदनगढ़ जिला गुना म.प्र.

.....**आवेदक**

विरुद्ध

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना मक्सूदनगढ़, जिला गुना म.प्र.

.....**अनावेदक**

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 20-10-2022

20-10-2022

आवेदक **माखन लोधी** द्वारा श्री संजय कुमार जैन अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य द्वारा श्री नरेन्द्र राजपूत अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना मक्सूदनगढ़ जिला गुना से अपराध क्रमांक 216/2022 अन्तर्गत धारा 304(बी), 34 भा.द.वि. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राघौगढ़ जिला गुना से उक्त अपराध क्रमांक से संबंधित रिमाण्ड पत्रावली प्राप्त।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदक द्वारा प्रकट किया गया है कि आवेदक का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। पुलिस थाना मक्सूदनगढ़ ने फरियादी पक्ष की झूठी रिपोर्ट पर से आवेदक/आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जे.एम.एफ.सी., राघौगढ़ द्वारा आवेदक का धारा 437 द.प्र.सं. का आवेदन निरस्त कर दिया है। आवेदक नवयुवक है। उसे अधिक समय तक निरोध में रखा जाता है, तो आदतन अपराधियों की संगत उसका भविष्य खराब कर सकती है। आवेदक परिवार का एक मात्र कमाने वाला है। आवेदक के पिता वृद्ध होकर बीमार भी रहते हैं। आवेदक को अधिक दिनों तक न्यायिक निरोध में रखा जाता है तो उसके परिवार भूखों मरने की नौबत आ जावेगी। आवेदक न्यायालय की प्रत्येक आज्ञा का पालन करने को तत्पर रहेगा। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से आवेदन के समर्थन में शपथकर्ता मोतीसिंह लोधी पुत्र गोरधनसिंह लोधी आयु 50 साल, धंधा कृषि, निवासी ग्राम रघुनाथपुरा थाना व तहसील मक्सूदनगढ़ जिला गुना म.प्र. द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक/आरोपी उसका भांजा है। आवेदक की ओर से धारा 439 द.प्र.सं. का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र। इस आवेदन पत्र के अलावा सत्र

न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या किसी भी अन्य अन्यायालय में कोई आवेदन पेंडिंग नहीं है न ही धारा 439 द.प्र.सं. का आवेदन पत्र आज तक निराकृत हुआ है, एवं अधिवक्ता श्री संजय कुमार जैन एवं सहयोगी अधिवक्ताओं को पैरवी करने हेतु नियुक्त करना लेख किया है।

आवेदक/अभियुक्त के अधिवक्ता ने आवेदन पर तर्क के दौरान व्यक्त किया कि आवेदक को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। आवेदक निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अतः आवेदक को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन पर विरोध व्यक्त करते हुये तर्क के दौरान व्यक्त किया कि आवेदक/अभियुक्त पर दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराध का आरोप है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

रिमाण्ड पत्रावली की आदेश पत्रिका दिनांक 12.10.2022 के अनुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत धारा 437 द.प्र.सं. का जमानत आवेदन निरस्त किया गया है।

केस डायरी एवं पुलिस प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध थाना मक्सूदनगढ़ जिला गुना (म.प्र.) में अपराध क्रमांक 216/2022 धारा धारा 304(बी), 34 भा.द.वि. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का पंजीबद्ध किया गया, जिसमें अनुसंधान जारी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार, दिनांक 15.09.2022 को 11.00 बजे ग्राम रघुनाथ पुरा में सूचनाकर्ता लाखन सिंह द्वारा ए.एस.आई. जितेन्द्र सिंह ओ.पी. उकावद को सूचना दी गयी कि दिनांक 14.09.2022 के शाम करीब साढ़े सात बजे वह अपने घर पर था, तभी उसके भाई माखन सिंह लोधी ने उसे बताया कि उसकी पत्नी प्रिया लोधी, बच्ची पंखुड़ी उम्र एक–डेढ़ साल घर पर नहीं है, जो बिना बताए शाम करीब सात बजे कहीं चली गयी है। फिर उन्होंने प्रिया लोधी व उसकी बच्ची का गांव व रिश्तेदारियों में पता किया, कहीं कोई पता नहीं चला। उसके मायके सुठालिया में भी मोबाईल से सूचना दी तो उसके भाई मनोज व योगेश लोधी आ गए। बाद में भाई माखन लोधी की जहरीली दवाई खाने से तबीयत खराब होने से रिश्तेदार उसे उपचार हेतु सुठालिया ले गए। फिर उन लोगों ने प्रिया लोधी और उसकी बच्ची की तलाश की तो दिनांक 15.09.2020 के 08.00 बजे करीब प्रिया लोधी व बच्ची पंखुड़ी लोधी का शव सुबह गांव वालों ने पार्वती नदी के किनारे देखा तथा उन्हें बताया तो उन्होंने जाकर देखा तो प्रिया लोधी व बच्ची पंखुड़ी के शव बांध के सामने पार्वती नदी के किनारे मिल गए। फिर गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी थी। लगभग उक्त सूचना के आधार पर मर्ग देहाती नालसी 0/2020 पर कायम की गयी। दिनांक 15.09.2022 को पंजीबद्ध मर्ग क्रमांक 21/22 धारा 174 जा.फौ. में मृतिका प्रिया लोधी पत्नी माखन सिंह लोधी नवविवाहता होने से मर्ग जॉच एस.डी.ओ.पी., चॉचौड़ा द्वारा की गयी, जिसमें जॉच दौरान लेखबद्ध किये गए मायके पक्ष के कथनों, मर्ग इंटीमेशन, पंचायतनामा लाश, पी.एम. रिपोर्ट एवं घटना स्थल के निरीक्षण के आधार पर आवेदक/आरोपी माखन लोधी, लाखन सिंह लोधी, श्रीमती नर्वदी बाई लोधी एवं श्रीमती लक्ष्मीबाई लोधी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 304बी, 34 भा.द.वि. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध

अधिनियम का घटित होना पाये जाने से आवेदक/अभियुक्त सहित सहअभियुक्तगण के विरुद्ध उक्तानुसार अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना मे लिया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि मर्ग जॉच के दौरान एस. डी.ओ.पी. चॉचौड़ा द्वारा जॉच के दौरान लिये गए कथनों, मर्ग इंटीमेशन, पंचायतनामा लाश, पी.एम. रिपोर्ट एवं घटना स्थल से निरीक्षण के आधार पर पाया गया कि मृतिका प्रिया बाई लोधी की मृत्यु शादी के बाद ससुराल पक्ष पति माखन सिंह लोधी, जेठ लाखन सिंह लोधी, सास नर्वदी बाई व जेठानी लक्ष्मी बाई लोधी द्व ारा आये दिन दहेज की मांग को लेकर प्रिया बाई लोधी से झगड़ा कर प्रताड़ित करने, से मृतिका प्रिया लोधी व उसकी बच्ची पंखुड़ी उर्फ पीहू लोधी की पार्वती नदी में डूबने से मृत्यु हुई है। मर्ग जॉच के दौरान में मृतिका के पिता राधेश्याम, मॉ रामकली बाई एवं भाई मनोज ने मृतिका द्वारा उन्हें ससुराल पक्ष के पति माखन, सास नर्वदी बाई, जेठ लाखन एवं जेठानी लक्ष्मी बाई द्वारा एक और प्लाट की मॉग को लेकर मृतिका से झगड़ा कर प्रताड़ित करने के संबंध में उन्हें बताया जाने का कथन किया है, तथा उक्त कारण से मृतिका द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर पानी में डूबकर आत्महत्या किया जाना केस डायरी से दर्शित होता है। आवेदक/अभियुक्त मृतिका का पति है, जिस पर अपनी पत्नी की सुरक्षा का प्रथम दायित्व थाना, लेकिन उसके द्वारा अपनी पत्नी मृतिका को दहेज के शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराध का आरोप है। अपराध की प्रकृति व गंभीरता देखते हुये आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

अतः आवेदक/अभियुक्त **माखन लोधी** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. का निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी वापस एवं रिमाण्ड पत्रावली वापस हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जाये।

VIJAY KUMAR SHARMA

Digitally signed by VIJAY KUMAR SHARMA
Date: 2022.10.20 17:52:36 +0530

(विजय कुमार शर्मा)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
राघौगढ़, जिला गुना (म.प्र.)